

अध्याय - VI

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप

6.1 सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 31 मार्च 2005 की तरह 31 मार्च 2006 को पाँच सरकारी कंपनियाँ, एक सांविधिक निगम तथा एक स्वायत्त निकाय (सभी कार्यरत) थे। सरकारी कंपनियों के लेखा (यथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित) की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखे की पूरक लेखापरीक्षा भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा संचालित की जाती है। विद्युत आपूर्ति (वार्षिक लेखे) नियम, 1985 के नियम 14 के तहत पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 (क) और 185 (2) (घ) के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (2) के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग का सी.ए.जी. एकमात्र लेखा परीक्षक है।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.)

6.1.2 कार्यरत पी.एस.यू. में निवेश



छः पी.एस.यू. (पाँच सरकारी कंपनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) में कुल निवेश क्रमशः मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अन्त में निम्नलिखित था;

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पी.एस.यू. की संख्या	पी.एस.यू. में निवेश			
		इक्विटी	अंशआवेदन राशि	ऋण	कुल
2004-05	6	7.55	-	808.14	815.69
2005-06	6	7.55	0.25	2466.07	2473.87

6.1.2.1 कार्यरत सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम में प्रक्षेत्रवार निवेश

कार्यरत सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम में प्रक्षेत्रवार निवेश मार्च 2005 और मार्च 2006 के अंत में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) की प्रतिशतता निम्नलिखित वृत्त चार्ट में दर्शायी गयी है:



6.1.3 कार्यरत सरकारी कंपनियाँ

मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अंत में कार्यरत सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नलिखित था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सरकारी कंपनियों की संख्या	कार्यरत कंपनी में निवेश			
		इक्विटी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2004-05	5	7.55	-	5.25	12.80
2005-06	5	7.55	0.25	5.25	13.05

इन सरकारी कंपनियों में इक्विटी एवं ऋण के रूप में सरकारी निवेश की सारांशिकृत स्थिति के ब्योरे **परिशिष्ट-6.1** में दिये गये हैं।

31 मार्च 2005 एवं 31 मार्च 2006 को इन सरकारी कंपनियों में कुल निवेश के क्रमशः 59 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत इक्विटी पूँजी का तथा 41 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत ऋण का समाविष्ट था।

6.1.4 कार्यरत सांविधिक निगम

एक कार्यरत सांविधिक निगम (झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद) में मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अन्त में कुल निवेश, बिहार राज्य विद्युत परिषद और झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद के मध्य परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संविभाजन नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं था। तथापि, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा दिया गया दीर्घावधि ऋण क्रमशः 295.76 करोड़ रुपये और 321.26 करोड़ रुपये था। 31 मार्च 2005 को 802.89 करोड़ रुपये (राज्य सरकार 737.35 करोड़ रुपये, अन्य 65.54 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 31 मार्च 2006 को 2460.82 करोड़ रुपये (राज्य सरकार 1058.61 करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार 1336.67 करोड़ रुपये, अन्य 65.54 करोड़ रुपये) के ऋण का बकाया था।

6.1.5 बजट के जावक, अनुदान/सहाय्य, प्रतिभूतियाँ, बकाये का अधित्याग एवं ऋणों का इक्विटी में रूपान्तरण

कार्यरत सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगम तथा स्वायत्त निकाय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बजट के जावक, अनुदान/सहाय्य, निर्गत प्रतिभूतियों, बकाये का अधित्याग और ऋणों को इक्विटी में रूपान्तरण के ब्योरे **परिशिष्ट- 6.1** और **6.3** में दिये गये हैं।

2004-05 एवं 2005-06 के लिये राज्य सरकार की ओर से कार्यरत सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगम और स्वायत्त निकाय के इक्विटी पूँजी और ऋणों एवं अनुदान/सहाय्य बजट के जावक के रूप में नीचे दिये गये हैं।

(करोड़ रुपये में)

	2004-05						2005-06					
	कंपनियाँ		निगम		स्वायत्त निकाय		कंपनियाँ		निगम		स्वायत्त निकाय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से इक्विटी पूँजी जावक	1	0.25	-	शून्य	-	शून्य	1	0.25	-	शून्य	-	शून्य
बजट से दिये गये ऋण	-	शून्य	1	295.76	-	शून्य	-	शून्य	1	321.26	-	शून्य
अन्य अनुदान/सहाय्य	-	शून्य	1	348.39	1	0.95	-	शून्य	-	शून्य	1	1.10
कुल जावक	1	0.25	2	644.15	1	0.95	1	0.25	1	321.26	1	1.10

2005-06 के दौरान सरकार ने कोई भी प्रतिभूति नहीं दी।

6.1.6 कार्यरत पी.एस.यू. द्वारा लेखे का समापन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, एवं 619 के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा का समापन उस वित्तीय वर्ष के अन्त से छः महीने भीतर होना है। उन्हें विधान मण्डल में सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के अन्त से नौ महीने के भीतर प्रस्तुत भी करना है। सांविधिक निगम के मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185 (2) (घ) के प्रावधानों के अनुसार लेखा को समापित, लेखा परीक्षित और विधान मण्डल में प्रस्तुत होना है।

जैसा कि **परिशिष्ट- 6.2** से परिलक्षित होता है, पाँच सरकारी कंपनियों, एक सांविधिक निगम एवं एक स्वायत्त निकाय में से केवल एक कंपनी ने वर्ष 2004-05 तक का लेखा समापन किया, और एक कंपनी वर्ष 2003-04 तक का लेखा समापन किया, एक कंपनी वर्ष 2002-03 और एक सांविधिक निगम ने वर्ष 2001-02 का लेखा समापन किया। पाँच सरकारी कंपनियों का लेखा एक से चार वर्षों की अवधि तक बकाये में था। 30 सितम्बर 2006 को सांविधिक निगम एवं स्वायत्त निकाय का लेखा क्रमशः चार वर्षों एवं तीन वर्षों के लिए बकाये में था।

यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों और राज्य सरकार के अधिकारियों को लेखे के समापन के बकाये के संबंध में महालेखाकार द्वारा सतर्क किया गया था, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं, परिणामस्वरूप पी.एस.यू. की निवल परिसम्पत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका।

6.1.7 कार्यरत पी.एस.यू. की वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम

कार्यरत पी.एस.यू. (सरकारी कंपनियाँ और सांविधिक निगम) के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम उनके अद्यतन अंतिम लेखे के अनुसार **परिशिष्ट-6.2** में दिये गये हैं। अद्यतन समापित लेखे के अनुसार दो कार्यरत सरकारी कंपनियों ने कुल 1.97 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, एक कार्यरत सरकारी कंपनी को 0.17 करोड़ रुपये की हानि हुई एवं एक सांविधिक निगम को कुल 49.45 करोड़ रुपये की हानि हुई।

6.1.8 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (पूर्व में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 द्वारा जिसे रद्द कर दिया गया है) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना की गई है। आयोग 24 अप्रैल 2003 के प्रभाव से कार्यरत हुआ। आयोग ने वर्ष 2005-06 के दौरान पाँच विनियमन निर्गत किया।

6.1.9 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रारूप कंडिकाओं के प्रत्युत्तर

लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकन जिनका निष्पादन स्थल पर नहीं किया गया हो, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा संबंधित पी.एस.यू. के प्रमुख और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। पी.एस.यू. के प्रमुख को विभागों के संबंधित प्रमुखों के माध्यम से छः सप्ताह की अवधि के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर प्रस्तुत करना है। झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद से संबंधित मार्च 2006 तक निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से यह पता चला कि मार्च 2006 के अंत तक 760 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 774 कंडिकायें लंबित थीं (**परिशिष्ट - 6.4**)।

इसी प्रकार पी.एस.यू. के क्रियाकलाप पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षा को संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को तथ्यों तथा आँकड़ों की संपुष्टि प्राप्त करने तथा उन पर उनकी टिप्पणी जानने के लिये छः सप्ताह की अवधि के भीतर अर्द्धसरकारी पत्र द्वारा अग्रसारित किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि विभिन्न विभागों को मई 2006 से अक्टूबर 2006 के दौरान पाँच प्रारूप कंडिकायें एवं एक प्रारूप समीक्षा प्रेषित की गयी थी जिनमें से चार प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर सरकार से और एक प्रारूप कंडिका एवं एक समीक्षा का उत्तर सरकार/परिषद से अभी तक (अक्टूबर 2006) अप्राप्त है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) वैसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान हो जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाएँ और कोपू की अनुशंसा पर ए.टी.एन्स के उत्तर निर्धारित समयावधि में भेजने में विफल रहें हों, (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली की कार्रवाई निर्धारित समय के भीतर की जाए तथा (ग) लेखा परीक्षा अवलोकन पर प्रत्युत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।

सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन समीक्षा

6.2 झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद में ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति, अनुरक्षण, मरम्मत एवं निष्पादन

विशिष्टतायें

वितरण रूपांतरण क्षमता के साथ पावर उपकेन्द्र तथा वितरण क्षमता का संबद्ध भार से बेमेल होने के कारण ट्रांसफॉर्मर अतिभारित हुए। जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय विद्युत अभिकरण द्वारा निर्धारित मानक से 200 प्रतिशत ज्यादा संचरण एवं वितरण की क्षति हुई। बोर्ड को अत्यधिक संचरण एवं वितरण की क्षति के कारण 3,798.08 करोड़ रुपये की संभावित राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 6.2.7.2 और 6.2.7.3)

एलुमिनियम तार एवं ट्रांसफॉर्मर तेल की पुनः प्राप्ति के मानक तय करने में असफलता के कारण बोर्ड को 55 लाख रुपये की हानि।

(कंडिका 6.2.9.1 और 6.2.9.2)

वितरण ट्रांसफॉर्मर के अत्याधिक असफल दर होने के कारण 12.77 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रांसफॉर्मर की परिहार्य अधिप्राप्ति।

(कंडिका 6.2.9.5)


वितरण ट्रांसफॉर्मर की गणना बोर्ड द्वारा नहीं की गई जिसके फलस्वरूप भंडार में 5.22 करोड़ रुपये मूल्य के 4,633 वितरण ट्रांसफॉर्मर का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था।

(कंडिका 6.2.11.1)

6.2.1 प्रस्तावना

ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत के संचरण एवं वितरण में वोल्टेज के चढ़ाव एवं उतार हेतु उपयोग किया जाता है। विद्युत सामान्यतः अति निम्न वोल्टेज (11 केवी. से 15.75 केवी.) पर पैदा किया जाता है, तत्पश्चात् इसे भार केन्द्रों में संचरित करने के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर द्वारा वोल्टेज को (132 केवी., 220 केवी. एवं 400 केवी.) बढ़ाया जाता है। प्राप्ति उपकेन्द्रों पर, विभिन्न उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति हेतु स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर (6.6 केवी./11 केवी./33 केवी.) का व्यवहार कर वोल्टेज घटाया (220 केवी./132 केवी./ 66 केवी./33 केवी.) जाता है। उत्पादन केन्द्रों एवं उच्च वोल्टेज उपकेन्द्रों (संचरण पद्धति से जाना जाता है) में उपयोग किये जाने वाले ट्रांसफॉर्मर को पावर ट्रांसफॉर्मर (पी.टी.) जबकि वितरण व्यवस्था में व्यवहार किये जाने वाले ट्रांसफॉर्मर को वितरण ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति संचरण एवं वितरण लाइन के माध्यम से 132 केवी. से 440/220 वोल्ट्स के बीच वोल्टेज से की जाती है।

ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति, रख-रखाव, मरम्मत एवं निष्पादन से संबंधित झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद (जे.एस.ई.बी.) का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत् है।



6.2.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ट्रांसफॉर्मर की अधिप्राप्ति, अनुरक्षण मरम्मत एवं कार्य की समीक्षा मई से सितम्बर 2006 के दौरान की गई। लेखा परीक्षा बोर्ड मुख्यालय, सभी तीन ट्रांसफॉर्मर मरम्मत के कारखाना[♥] (टी.आर.डब्ल्यू.), छः^{*} (13 में से) आपूर्ति अंचल, प्रसारण मापक जाँच समेत केन्द्रीय भंडार के अभिलेखों का चयन उनके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर किया गया, की समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई।

6.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

झारखण्ड राज्य विद्युत-बोर्ड के द्वारा ट्रांसफॉर्मर की “अधिप्राप्ति, अनुरक्षण, मरम्मत एवं कार्य” की निष्पादन समीक्षा यह जानने के लिए की गयी कि क्या

- ग्रिड पावर रूपान्तरण क्षमता, उपपावर रूपान्तरण क्षमता एवं वितरण पावर क्षमता के अनुपातिक था एवं तकनीकी क्षति, बिजली गुल एवं वोल्टेज का उतार चढ़ाव कम से कम रखा गया था एवं राजस्व की वसूली अधिकतम थी;
- रूपान्तरण क्षमता संबद्ध भार के अनुपातिक थी;
- बोर्ड ने अपनी नीति के अनुरूप ट्रांसफॉर्मर की अधिप्राप्ति, अनुरक्षण एवं मरम्मत की योजना तैयार की थी;
- ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति की उपयुक्त प्रक्रिया विद्यमान थी ताकि देरी को कम किया जा सके, गुणवत्ता सुनिश्चित हो तथा अधिप्राप्ति में अतिरिक्त/अत्यधिक खर्च को परिहार्य किया जा सके;
- प्रत्याभूति की अवधि या उसके बाद ट्रांसफॉर्मरों के खराब होने पर प्रत्याभूति का लाभ उठाते हुये उसकी मरम्मत तुरंत करायी गई; एवं
- ट्रांसफॉर्मर बिना गड़बड़ी के लम्बी अवधि तक सेवा दे सके इसके लिए बोर्ड ने ट्रांसफॉर्मर के अनुरक्षण के लिए एक ठोस नीति/अनुसूची ईजाद की है तथा विभिन्न उपकेन्द्रों पर प्रतिष्ठापित ट्रांसफॉर्मर का अनुरक्षण निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार हो रहा था।

6.2.4 लेखा परीक्षा के मापदण्ड

निम्नलिखित लेखा परीक्षा माप दण्ड अपनाए गए थे:

- राज्य सरकार की विद्युत नीति;
- झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति, भंडारण एवं लेखा प्रक्रिया;

[♥] देवघर, धनबाद और राँची।

^{*} धनबाद, देवघर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लोयाबाद और राँची।

- क्रय आदेश की शर्तों एवं बंधों;
- ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तय ट्रांसफॉर्मरों की आयु एवं उनकी मरम्मत के अनुबंधों की शर्तों एवं बंधों; तथा
- संचरण एवं वितरण क्षति से संबंधित केन्द्रीय विद्युत अभिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्ड।

6.2.5 लेखा परीक्षा पद्धति

निम्नलिखित मिश्रित पद्धतियों को अपनाया गया :

- मुख्य कार्यालय एवं रख-रखाव प्रमण्डलों में ट्रांसफॉर्मर से संबंधित आँकड़े/सूचना अभिलेखों का विश्लेषण;
- अधिप्राप्तियों के अभिलेखों की संवीक्षा;
- अनुक्षण कार्यक्रम, असफलता का कारण, असफल ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के लिए लिया गया समय ताकि उनका उपयोग किया जा सके की जाँच की; तथा अनुशंसा संचिका, निविदा विनिर्देशन संचिका, आदेश संचिका, क्रियान्वयन संचिका, अधिप्राप्ति में क्षति/अतिरिक्त व्यय की जाँच की गई;

लेखा परीक्षा के निष्कर्ष

लेखा परीक्षा निष्कर्ष से सरकार/प्रबंधन को 27 अक्टूबर 2006 को सूचित किया गया एवं 17 नवम्बर 2006 को सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) के लिए लेखपरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में परिचर्चा की गई, जहाँ सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, ऊर्जा-विभाग ने किया एवं प्रबंधन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने किया। समीक्षा का समापन सरकार/प्रबंधन के विचार को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में हैं।

6.2.6 योजना

6.2.6.1 विद्युत नीति एवं सामूहिक योजना का अभाव

भिन्न-भिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बीच आकलित भार में वृद्धि के आधार पर विद्युत माँग का आकलन एवं तदनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण विस्तार की योजना प्रत्येक वर्ष तैयार की जानी चाहिए। विद्युत उपयोगिता की व्यावसायिक क्षमता को सुनिश्चित करते हुए विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए।

विद्युत की माँग में वृद्धि 2001 से 2006 तक प्रतिवर्ष लगभग 550 मिलियन यूनिट थी। इस प्रकार विद्युत तंत्र में रूपान्तरण क्षमता की अनुपातिक वृद्धि की आवश्यकता थी। तथापि, बोर्ड द्वारा रूपान्तरण क्षमता में आवश्यक वृद्धि की कोई योजना नहीं बनाई गई।

6.2.6.2 वार्षिक अधिप्राप्ति योजना का अभाव

ट्रांसफॉर्मर की अधिप्राप्ति हेतु बोर्ड द्वारा वार्षिक योजना निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार करनी चाहिए थी :

- ग्रामीण एवं अन्य नये क्षेत्रों आदि में विद्युतीकरण आदि के निर्धारित लक्ष्य का विवरण देते हुए वार्षिक विकास कार्यक्रम;
- वर्तमान विद्युत क्षेत्र के संबद्ध भार में प्रत्याशित वार्षिक वृद्धि; एवं
- ट्रांसफॉर्मर की अनुमानित वार्षिक क्षति दर।

यद्यपि बोर्ड को 2005-06 तक पाँच वर्षों की अवधि में 8,823 गाँवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करने के साथ 550 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष अतिरिक्त माँग को उपलब्ध कराना था, परन्तु बोर्ड 2001-06 के दौरान कोई वार्षिक अधिप्राप्ति योजना तैयार करने में विफल रहा।

6.2.7 निष्पादन

6.2.7.1 लक्ष्य एवं प्राप्ति

बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत 2005-06 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए 8823 गाँवों के विद्युतीकरण हेतु वर्षवार लक्ष्य तैयार किया। वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान लक्ष्य एवं प्राप्ति से संबंधित ब्योरे निम्नवत् था:

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	हास	प्रतिशत
2001-02	1,381	537	844	61
2002-03	2,000	771	1,229	61
2003-04	2,000	1,225	775	39
2004-05	2,000	1,113	887	44
2005-06	1,442	702	740	51
योग	8,823	4,348	4,475	51

बोर्ड द्वारा 2001-02 से 2005-06 के दौरान मात्र 4348 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। शेष 4475 गाँव मार्च 2006 तक विद्युन्मय नहीं हुये थे। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के 1130 ट्रांसफॉर्मर का दूसरे कार्यों में विचलन, लंबित क्रयादेश के विरुद्ध 454 ट्रांसफॉर्मर की अप्राप्ति एवं 2891 ट्रांसफॉर्मर की कम खरीद, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण पाये गये।

6.2.7.2 क्षमता में असमानता

संबद्ध भार का वर्षवार ब्योरा बोर्ड द्वारा समुचित रूप से संधारित नहीं था। उत्पादन केन्द्रों से विद्युत निष्क्रमण हेतु पर्याप्त ग्रिड पावर रूपान्तरण क्षमता की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं को पावर भार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उप-पावर रूपान्तरण क्षमता वितरण ट्रांसफॉर्मर के संभरण हेतु मध्य कड़ी है। 31 मार्च 2006 तक पाँच वर्षों के दौरान छः आपूर्ति अंचलों से संबंधित पावर रूपान्तरण क्षमता, वितरण, रूपान्तरण क्षमता एवं संबद्ध भार की लेखा परीक्षा द्वारा संगणित वर्षवार ब्योरा नीचे दर्शाया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	उप पावर रूपान्तरण क्षमता (33/11 केवी.)					
	एम.भी.ए.	963	997	1034	1096	1195
	एम.डब्लू.	819	847	879	932	1016
2	वितरण रूपान्तरण क्षमता					
	एम.भी.ए.	915	969	1051	1154	1272
	एम.डब्लू.	778	824	893	981	1081
3	सकल संबद्ध भार					
	एम.भी.ए.	935	1090	1206	1408	1581
	एम.डब्लू.	795	927	1025	1197	1344
4	क) वितरण क्षमता से अधिक संबद्ध भार (एम.डब्लू.)	17	103	132	216	263
	ख) वितरण रूपान्तरण क्षमता से अधिक संबद्ध भार की प्रतिशतता	2	13	15	22	24
5	उप पावर रूपान्तरण क्षमता प्रति एम.भी.ए. संबद्ध भार (क्रं सं. 1÷ क्र. सं. 3)	1.03	0.91	0.86	0.78	0.76
6	वितरण रूपान्तरण क्षमता प्रति एम.डब्लू.संबद्ध भार का (क्रं सं. 2÷ क्र. सं. 3)	0.98	0.89	0.87	0.82	0.80

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि:

रूपान्तरण क्षमता में वृद्धि भार में वृद्धि के अनुसार नहीं रखी गयी थी

- संबद्ध भार में 69[▲] प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध उप पावर एवं वितरण रूपान्तरण क्षमता में वृद्धि क्रमशः मात्र 24 एवं 39 प्रतिशत ही रही। इस अवधि में संबद्ध भार के विरुद्ध रूपान्तरण क्षमता में 26 प्रतिशत का ह्रास हुआ। रूपान्तरण क्षमता एवं संबद्ध भार के बीच अनुपात से संबंधित कोई भी मानक बोर्ड के पास नहीं था। मानक के आभाव में संबद्ध भार में बढ़ोत्तरी के कारण विचलन एवं ट्रांसफॉर्मर पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- 31 मार्च 2006 को 1581 एम.भी.ए. संबद्ध भार के विरुद्ध उप-पावर रूपान्तरण क्षमता एवं 1195 एम.भी.ए. एवं वितरण रूपान्तरण क्षमता 1272 एम.भी.ए. था। वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान संबद्ध भार के उप-पावर रूपान्तरण क्षमता प्रति एम.भी.ए. अपेक्षित एक^{*} एम.भी.ए. के विरुद्ध 0.76 एम.भी.ए. और 1.03 एम.भी.ए. के बीच थी। बल्कि इसमें 2001-02 से 2005-06 के दौरान ह्रास हुआ। उप पावर रूपान्तरण क्षमता एवं संबद्ध भार में इस असमानता के कारण पावर ट्रांसफॉर्मर पर अधिक भार पड़ा जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर असफल हुए एवं संचरण एवं वितरण क्षति में वृद्धि हुई।

इस प्रकार, बोर्ड नमूना जाँच किये गये आपूर्ति अंचलों के संबंध में संबद्ध भार में वृद्धि की तुलना में उप-पावर रूपान्तरण क्षमता एवं वितरण रूपान्तरण क्षमता की वृद्धि में संतुलन बनाये रखने में असफल रहा। फलस्वरूप बिजली गुल, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव एवं ट्रांसफॉर्मर के खराब होने में वृद्धि हुई।

[▲] 1581 एम.भी.ए.-935 एम.भी.ए. = 646 एम.भी.ए.; 646 ÷ 935 = 69 प्रतिशत

^{*} मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अनुसरित

6.2.7.3 अत्यधिक संचरण एवं वितरण क्षति

संचरण एवं वितरण क्षति केन्द्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा तय मानक से बहुत अधिक थी

एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच ऊर्जा संचरण के दौरान चालक में प्रतिरोध के कारण हुई ऊर्जा की क्षति को संचरण क्षति कहा जाता है। समान रूप से पावर उपकेन्द्र से प्रेषित ऊर्जा एवं वितरण तंत्र में उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा के अंतर को वितरण क्षति के रूप में परिकलित किया जाता है। रूपान्तरण क्षति ऊर्जा की वह क्षति है जो संचरण एवं वितरण तंत्र में वोल्टेज के उतार एवं चढ़ाव के दौरान ट्रांसफॉर्मर में हुए तांबा एवं लोहा की क्षति के कारण होता है एवं इसे संचरण एवं वितरण क्षति के रूप में परिकलित किया जाता है।

केन्द्रीय विद्युत अधिकरण (सी.इ.ए.) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचरण एवं वितरण क्षति 15.5 प्रतिशत है (8.5 प्रतिशत संचरण एवं उपसंचरण क्षति एवं 7 प्रतिशत वितरण क्षति) इसके विरुद्ध मार्च 2006 तक पाँच वर्षों के दौरान बोर्ड के निकायों में प्रतिवेदित क्षति निम्न प्रकार से थी:

वर्ष	संचरण एवं वितरण क्षति (मानक)		मानक से अधिक	
	प्रतिशत	मिलियन यूनिट	प्रतिशत	मिलियन यूनिट
2001-02	15.5	674.04	33.46	1,455.06
2002-03	15.5	733.17	35.03	1,656.97
2003-04	15.5	796.46	36.44	1,872.46
2004-05	15.5	911.03	35.80	2,104.17
2005-06	15.5	1,005.40	31.81	2,063.35

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, (झा.रा.वि.नि.आ.) राँची ने अपने टैरिफ आदेश (दिसम्बर 2003) में बोर्ड को संचरण एवं वितरण क्षति में कटौती के कार्यक्रम के अनुश्रवण का निर्देश जारी किया था। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि संचरण एवं वितरण क्षति वर्ष 2001-02 में 674.04 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2005-06 में 1,005.40 मिलियन यूनिट हो गयी। बोर्ड केन्द्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा निर्धारित मानक प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार केन्द्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा तय मानक से ज्यादा संचरण एवं वितरण क्षति के कारण बोर्ड को संभावित राजस्व के रूप में 3798.08[♦] करोड़ रुपये की हानि हुई।

6.2.7.4 पावर रूपान्तरण क्षमता और वितरण क्षमता के मध्य असमानता (33/11 के.भी. पावर उपकेन्द्र)

संबद्ध भार एवं क्षमता में असमानता के कारण उच्च संचरण एवं वितरण क्षति

पावर वितरण प्रणाली में 33/11 के.भी. पावर उपकेन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाइन क्षति को कम करने हेतु 33/11 के.भी. के सभी फीडर पर उपयुक्त भार की आवश्यकता होती है। यदि एक 33 के.वी. का फीडर अपनी भार दर के 50 प्रतिशत पर कार्यरत हैं तो तकनीकी लाइन क्षति 4 प्रतिशत होगी जबकि 100 से 120 प्रतिशत के भार पर यह क्षति 20 प्रतिशत होगी। इसके अलावा, एक ट्रांसफॉर्मर को जलने/अन्य खराबी से बचाने के निमित्त अधिकतम सहनशीलता क्षमता इसकी निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत होती है।

[♦] 9,152.10 एम. यू. X 4.15 रुपये प्रति यूनिट (औसत बिक्री दर 2001-02)= 3,798.08 करोड़ रुपये

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान अचलवार रूपान्तरण एवं वितरण क्षमता निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	औसत पावर रूपान्तरण क्षमता (एम. भी. ए. में)	औसत वितरण क्षमता (एम. भी. ए. में)	औसत वितरण क्षमता पावर रूपान्तरण क्षमता की प्रतिशतता के रूप में (कॉलम IV/कॉलम III)	औसत लाइन क्षति प्रतिशत में	
					शुद्ध	सकल
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	धनबाद	140	143	102	26.50	42.00
2	देवघर	75	101	135	40.45	55.95
3	हजारीबाग	178	232	130	28.66	44.16
4	जमशेदपुर	231	369	160	24.27	39.77
5	लोयाबाद	159	169	106	32.88	48.38
6	राँची	274	286	104	26.48	41.98

टिप्पणी - शुद्ध लाइन क्षति= सकल लाइन क्षति- अनुमत संचरण एवं वितरण क्षति (यानि 15.5 प्रतिशत)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2001-02 से 2005-06 के मध्य सभी वर्षों में अचल की वितरण रूपान्तरण क्षमता, पावर रूपान्तरण क्षमता (33/11 केवी.) से 100 प्रतिशत से अधिक थी तथा इन वर्षों में पावर रूपान्तरण क्षमता की तुलना में वितरण क्षमता का औसत 102 (धनबाद) से 160 प्रतिशत (जमशेदपुर) के मध्य था। औसत लाइन क्षति 40 से 56 प्रतिशत के बीच थी जो केन्द्रीय विद्युत अभिकरण द्वारा तय मानक से क्रमशः 24.27 एवं 40.45 प्रतिशत अधिक थी। फलस्वरूप बोर्ड को इस अवधि में अत्यधिक संचरण एवं वितरण क्षति के रूप में 1917.51 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व की हानि हुई।

6.2.7.5 पावर उपकेन्द्र क्षमता एवं वितरण क्षमता का संवर्द्धन

31 मार्च 2006 को संबद्ध भार एवं पावर रूपान्तरण क्षमता तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता की संवर्द्धन स्थिति निम्न थी;

क्रम संख्या	अचल का नाम	अवधि 31 मार्च को	पावर रूपान्तरण क्षमता	वितरण क्षमता	सम्बद्ध भार	भार के सदृश अपेक्षित वितरण रूपान्तरण क्षमता (कॉलम 6×100/80)	रूपान्तरण क्षमता के सदृश अपेक्षित पावर रूपान्तरण क्षमता (कॉलम 7 ×2-कॉलम 4)
			एम. भी. ए.	एम. भी. ए.	एम. भी. ए.	एम. भी. ए.	एम. भी. ए.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	धनबाद	2005-06	160	161	194	243 (151)	326 (204)
2	देवघर	2005-06	92	128	134	168 (131)	244 (265)
3	हजारीबाग	2005-06	202	237	278	348 (147)	494 (245)
4	जमशेदपुर	2005-06	239	288	389	486 (169)	733 (307)
5	लोयाबाद	2005-06	178	151	172	215 (142)	252 (142)
6	राँची	2005-06	324	307	414	518 (169)	712 (220)

(कोष्टक में दिये गये अंक प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

आपूर्ति अंचल द्वारा पावर उपकेन्द्र क्षमता एवं वितरण क्षमता में संवर्द्धन अपेक्षित था

तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक अंचल में वितरण ट्रांसफॉर्मर पर सम्बद्ध भार इसकी वर्तमान क्षमता का 105 (देवघर) से 135 प्रतिशत (जमशेदपुर एवं राँची) के बीच तथा वितरण की वर्तमान क्षमता में 169 (जमशेदपुर) से 131 प्रतिशत (देवघर) का

संवर्द्धन अपेक्षित था। इसी प्रकार 2005-06 की अवधि में पावर रूपान्तरण की वर्तमान क्षमता में 142 (लोयाबाद) से 307 प्रतिशत (जमशेदपुर) की वृद्धि अपेक्षित थी। लाइन क्षति (वितरण क्षति) को 4 प्रतिशत के स्तर पर रखने के लिए बोर्ड को तालिका (कॉलम 7 एवं 8) में दर्शाये गये आँकड़ों के आधार पर अपनी पावर केन्द्र रूपान्तरण क्षमता एवं वितरण क्षमता में बढ़ोतरी करनी है।

पावर उप-केन्द्र क्षमता, वितरण क्षमता एवं संबद्ध भार में समता न होने के कारण वितरण एवं पावर उपकेन्द्र ट्रांसफॉर्मर पर अधिक भार पड़ा जो ट्रांसफॉर्मर की उच्च असफल दर वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से बिजलीगुल तथा अत्यधिक लाइन क्षति का वाहक बना।

6.2.8 ट्रांसफॉर्मर की अधिप्राप्ति

6.2.8.1 वितरण ट्रांसफॉर्मर

वितरण तंत्र के लिए मुख्य अभियंता (भंडार एवं खरीद) द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं पावर ट्रांसफॉर्मर 5 एम.भी.ए. तक क्षमता वाले प्राप्त किये गये। वर्ष 2001-06 के मध्य प्राप्त ट्रांसफॉर्मर से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा उप-निदेशक (मुख्यालय) एवं लेखा उप-निदेशक (ग्रामीण विद्युतीकरण) झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड की भुगतान संचिका की लेखा परीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 10,881 ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति हेतु 91 क्रयादेश निर्गत किये गये जिसमें 78.89 करोड़ रुपये मूल्य के मात्र 9907 ट्रांसफॉर्मर सुपुर्द किये गये एवं शेष 974 ट्रांसफॉर्मर (12 आपूर्तिकर्ताओं से) 31 मार्च 2006 तक अप्राप्त थे। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति क्रयादेश के अनुसार नहीं थी एवं समय सीमा क्रयादेश की शर्तों के अनुरूप नहीं थी। समय सीमा का पालन नहीं करने एवं ट्रांसफॉर्मर की अप्राप्ति के कारण बोर्ड अपने निर्दिष्ट लाभ से वंचित रहा। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

6.2.8.2 पूरक आदेश निर्गत करने में विफलता के कारण परिहार्य भुगतान

पाँच एम.भी.ए. क्षमता के 50 टॉबा युक्त पावर ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति हेतु बोर्ड ने (नवम्बर 2001) निविदा आमंत्रित की। 9,92,509 रुपये प्रति इकाई की स्थल लागत पर 30 पावर ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति हेतु तीन आपूर्तिकर्ताओं[▼] को (10 पावर ट्रांसफॉर्मर प्रति आपूर्तिकर्ता) क्रयादेश (फरवरी 2002) निर्गत किया गया। शेष 20 ट्रांसफॉर्मर का आपूर्ति आदेश इन आपूर्तिकर्ताओं को निर्गत नहीं करने का कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

बोर्ड ने पुनः 5 एम.भी.ए. क्षमता वाले 40 पावर ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित (जुलाई 2002) की तथा 10,44,408 रुपये प्रति इकाई की लागत पर 30 ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति का आदेश दिया। बोर्ड ने फिर मई 2003 में 9,92,509 रुपये

पूरक आदेश नहीं देने के कारण 16 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान

▼ सिनर्जी इक्विमेंट लि., इस्ट इंडिया उद्योग एवं मैरिसन लिमिटेड।

प्रति इकाई की स्थल लागत पर ईस्ट इंडिया उद्योग को 10 ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति हेतु क्रयादेश सं 24 (एस.एण्ड.पी.) निर्गत किया।

अगर बोर्ड ने 40 ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति हेतु नये आमंत्रण (जुलाई, 2002) के बदले प्रथम आमंत्रण (फरवरी 2002) के विरुद्ध पूरक आदेश निर्गत किया होता तो 16* लाख रुपये की बचत होती।

6.2.8.3 सुपुर्दगी में विलंब

लम्बी दूरी तक ऊर्जा के संचरण हेतु निम्न वोल्टेज की ऊर्जा को उच्च वोल्टेज की ऊर्जा में रूपान्तरण हेतु उत्पादन केन्द्र में पावर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का पुनः उपयोग ग्रीड प्रणाली में उच्च वोल्टेज के उतार के लिए किया जाता है ताकि ऊर्जा को पुनः उपकेन्द्र को विकर्णित किया जाये। बोर्ड ने 11.94 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न क्षमता वाले नौ ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति हेतु अति आवश्यकता के आधार पर तीन क्रयादेश (जनवरी 2004, जून 2004 एवं सितम्बर 2005) निर्गत किया। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि चार ट्रांसफॉर्मर की सुपुर्दगी में सामान्य सुपुर्दगी अवधि (आदेश निर्गत होने की तिथि से 8 माह की अवधि में) से एक से चार माह का विलम्ब हुआ।

6.2.9 ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत

बोर्ड दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत राँची, देवघर तथा धनबाद* में अवस्थित अपने ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप में करता है। 2001-06 की अवधि में 5309 प्राप्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप ने 5184 वितरण ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत की। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इतिहास पत्रक जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण वर्कशॉप द्वारा नहीं किया गया। इतिहास पत्रक के आभाव में वर्कशॉप में ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति की तिथि, मरम्मत में लगा समय तथा अंचल को प्रेषण की तिथि का सत्यापन लेखा परीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

6.2.9.1 पुनः प्राप्त कुण्डली (क्वायल) में कमी के कारण हानि

ट्रांसफॉर्मर मरम्मत के दौरान पुरानी एल्युमीनियम कुण्डली पुनः प्राप्त की गयी तथा नयी कुण्डली का भंडार से निकासी की गई। वर्ष 2001-06 के दौरान एल्युमीनियम कुण्डली की पुनः प्राप्ति तथा भंडार से निकासी का ब्योरा निम्न है :

ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप [♦]	निकाला गया एल्युमीनियम तार	पुनः प्राप्त	प्रतिशतता
		(मैट्रिक टन में)	
राँची	102.396	60.527	59
देवघर	74.481	60.402	81

* 10,44,408 रुपये - 9,92,509 = 51,899 रुपये X 30 = 15,56,970 रुपये

♦ टी.आर.डब्ल्यू. धनबाद जुलाई 2005 में ही स्थापित हुआ था।

पुनः प्राप्त कुण्डली में कमी के कारण 16 लाख रुपये के राजस्व की हानि

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पुनः प्राप्त एल्यूमीनियम तार का प्रतिशत टी.आर.डब्ल्यू. राँची में टी.आर.डब्ल्यू. देवघर से कम है। टी.आर.डब्ल्यू. देवघर वर्कशॉप में पुनः प्राप्ति के स्तर के आधार पर टी.आर.डब्ल्यू. राँची में कम पुनः प्राप्ति के रूप में बोर्ड को 16 लाख* रुपये का घाटा हुआ।

बोर्ड ने कहा (नवम्बर 2006) कि जले हुए ट्रांसफॉर्मर के मामले में पुनः प्राप्त एल्यूमीनियम का प्रतिशत निकालना बहुत मुश्किल है। पुनः यह कहा गया कि पुनः प्राप्त कुण्डली की मात्रा टी.आर.डब्ल्यू. देवघर में टी.आर.डब्ल्यू. राँची से कुछ ज्यादा थी क्योंकि टी.आर.डब्ल्यू. देवघर में एल्यूमीनियम पट्टियों को स्क्रेप के रूप में पुनः प्राप्त किया गया। उत्तर सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बोर्ड ने स्क्रेप के मामले में कोई मानक तय नहीं किया था।

6.2.9.2 ट्रांसफॉर्मर तेल की कम वसूली

दो वर्कशॉप के मामलों में 2001-06 के दौरान मरम्मत किये गये ट्रांसफॉर्मरों में डालने के लिए निर्गत ट्रांसफॉर्मर तेल (नया एवं सुधार किया गया) तथा पुनः प्राप्त ट्रांसफॉर्मर तेल का विवरण निम्न प्रकार से है :

ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप*	भरने के लिए निर्गत तेल	पुनः प्राप्त तेल (के एल में)		ह्रास (के एल में)
		मानक के अनुसार (70 प्रतिशत)	वास्तविक (वसूली प्रतिशत में)	
टी.आर.डब्ल्यू. राँची	570	399	176 (31)	223
टी.आर.डब्ल्यू. देवघर	395	277	97 (25)	180
योग	965	676	273	403

ट्रांसफॉर्मर तेल की कम वसूली के कारण 39 लाख रुपये के राजस्व की हानि

तेल की वसूली के लिए बोर्ड ने कोई मानक तय नहीं किया है। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार त्रुटिपूर्ण ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसफॉर्मर तेल की वसूली इसकी टंकी क्षमता के 70 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दो वर्कशॉप के मामले में वसूली का प्रतिशत 25 से 31 के बीच था। कम वसूली के रूप में 403 किलोलीटर ट्रांसफॉर्मर तेल की गणना की गई जिसका मूल्य 39[^] लाख रुपये था।

बोर्ड ने कहा (नवम्बर 2006) कि पुनः प्राप्त तेल पुनः सुधार योग्य नहीं होता एवं समान्यतः परिपथ अवरोधक में उपयोग होता है तथा वर्कशॉप द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उत्तर अमान्य है क्योंकि पुनः प्राप्त तेल के उचित लेखांकन की कोई व्यवस्था नहीं है।

* 22.413 मी. ट. x ₹ 72086 रुपये प्रति मी.ट.

[^] 403 किलोलीटर x 9.80 रुपये प्रतिलीटर (विक्रय मूल्य)

* टी.आर.डब्ल्यू. धनबाद जुलाई 2005 में ही स्थापित हुआ था।

6.2.9.3 लापता तांबा कुण्डली (क्वायल)

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बोर्ड ने टी.आर.डब्ल्यू. देवघर के भंडार से 15 लाख रुपये मूल्य के दस मेट्रीक टन तांबा कुण्डली स्क्रेप का विक्रय आदेश निर्गत (सितम्बर 2005) किया। परियोजना प्रबंधक (तकनीकी सेवा), जो सभी ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप को नियंत्रित करते हैं, ने देवघर वर्कशॉप से 12 लाख रुपये मूल्य के 7.85 मेट्रीक टन तांबा कुण्डली के लापता होने के मामले को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2005) तथा बोर्ड से पुलिस में शिकायत दर्ज करने की अनुमति माँगी। (अक्टूबर 2005) अनुमति देने तथा मामले की जाँच से संबंधित विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

6.2.9.4 त्रुटिपूर्ण ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत नहीं होना

सौ मेगा वोल्ट एम्पीयर तक के विभिन्न क्षमता वाले नौ पावर ट्रांसफॉर्मर ग्रिड उपकेन्द्र में बिना मरम्मत के पड़े हुये थे। व्योरे निम्न प्रकार हैं:

क्रम संख्या	क्षमता	उत्पादन केन्द्र (जी.एस.एस.) का नाम	अभ्युक्तियाँ
1	100 एम.भी.ए.	चाण्डिल	1975 में स्थापित सितम्बर 2005 में असफल
2	50 एम.भी.ए.	हटिया	1999 में स्थापिता जनवरी 2005 में तड़ित सहित भारी वर्षा में बिजली के उच्च प्रवाह के कारण विफल
3	12.5 एम.भी.ए.	हटिया	इकाई को सिकिदिरी से मरम्मत के लिए लाया गया।
4	20 एम.भी.ए.	सिकिदिरी	1992 से पड़ा हुआ।
5	20 एम.भी.ए.	सिकिदिरी	2003 से पड़ा हुआ।
6	9.4 एम.भी.ए.	सिकिदिरी	2002 से पड़ा हुआ।
7	12.5 एम.भी.ए.	जामताड़ा	1997 से पड़ा हुआ।
8	7.5 एम.भी.ए.	देवघर	1983 से पड़ा हुआ।
9	10 एम.भी.ए.	धालभूमगढ़	नवम्बर 1962 में स्थापित तथा अक्टूबर 1996 से त्रुटिपूर्ण स्थिति में पड़ा हुआ।

इन नौ में से पाँच ट्रांसफॉर्मर दस वर्षों से अधिक अवधि से ग्रिड उपकेन्द्रों में पड़े हुये थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 13.35[♦] एम.भी.ए. क्षमता का एक 132/25 केवी. पावर ट्रांसफॉर्मर 15 वर्ष से अधिक अवधि से चाण्डिल ग्रिड उपकेन्द्र (II) में पड़ा हुआ था। बोर्ड ने यह पता लगाने के लिए कि क्या ट्रांसफॉर्मर मरम्मत योग्य है या निलामी करना है, कोई सर्वेक्षण नहीं किया ताकि भविष्य में इसका निपटारा किया जा सके इनके मूल्य में हास न हो।

6.2.9.5 वितरण ट्रांसफॉर्मर की उच्च असफल दर

नीचे की तालिका में 2002-06[♥] के दौरान स्थापित/ प्रतिस्थापित ट्रांसफॉर्मर की संख्या दर्शाता है:

[♦] क्रम संख्या 2343 निर्माण वर्ष 1982

[♥] 2001-02 के आँकड़े अनुपलब्ध

वर्ष	अधिष्ठापित वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या	प्रतिस्थापन हेतु निर्गत वितरण ट्रांसफॉर्मर	असफलता का प्रतिशत	सात प्रतिशत के मानक से अधिक विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या
2002-03	14,545	1,252	9	234
2003-04	15,508	2,495	16	1,409
2004-05	16,911	1,590	9	406
2005-06	18,439	1,423	8	132
योग				2,181

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में वितरण ट्रांसफॉर्मर के खराब होने का प्रतिशत असम (7 से 10 प्रतिशत), बिहार (8 से 9 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (5 से 7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (10.3 से 15.1 प्रतिशत) से अधिक था।

वितरण ट्रांसफॉर्मर की असफलता दर बहुत अधिक थी

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा तय मानक 7 प्रतिशत से अधिक 6760 ट्रांसफॉर्मर असफल हुए जिनकी कुल लागत 39.57* करोड़ रुपये थी। 2002-03 से 2005-06 के दौरान वितरण ट्रांसफॉर्मर की वार्षिक विफलता दर इस अवधि में अधिष्ठापित कुल ट्रांसफॉर्मर संख्या का 8 से 16 प्रतिशत के बीच थी। जैसा कि **कड़िका 6.2.10.1** में वर्णित है, ट्रांसफॉर्मर पर अधिक भार, पावर उपकेन्द्र एवं वितरण उपकेन्द्र की असमान क्षमता तथा अनुपयुक्त रख-रखाव ट्रांसफॉर्मर के असफल होने के मुख्य कारण थे।

बोर्ड ने सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अत्यधिक असफलता के कारणों का विश्लेषण सितम्बर 2006 तक नहीं किया था। 2002-06 के दौरान ट्रांसफॉर्मर की उच्च असफलता दर के कारण बोर्ड ने 12.77[♥] करोड़ रुपये की बचत का सुअवसर खो दिया। इसके अलावे, ट्रांसफॉर्मर की उच्च असफलता दर ट्रांसफॉर्मर के खराब संधारण का परिचायक थी।

6.2.10 संधारण

6.2.10.1 ट्रांसफॉर्मर का आवर्ती संधारण

ट्रांसफॉर्मर का आवर्ती संधारण नहीं किया गया

ग्रिड उपकेन्द्र तथा पावर उपकेन्द्र में पावर ट्रांसफॉर्मर के संधारण का उत्तरदायित्व क्रमशः संचरण अंचल के संचरण एवं अधिष्ठापन प्रमंडल तथा आपूर्ति अंचल के एम.आर.टी. प्रमण्डल पर था। वितरण ट्रांसफॉर्मर का संधारण संबंधित कनीय अभियंता को निर्दिष्ट था। ट्रांसफॉर्मर की दोष रहित सेवा को सुनिश्चित करने के लिए आवर्ती संधारण की योजना, इसका संचालन तथा विहित अनुसूची के अनुसार अभिलिखित होना आवश्यक है।

* तत्समय प्रचलित प्रभावी दर के आधार पर वितरण ट्रांसफॉर्मर की औसत लागत 58,536 रुपये प्रति ट्रांसफॉर्मर × 6760 संख्या = 39.57 करोड़ रुपये

♥ वितरण ट्रांसफॉर्मर की तत्कालिक औसत दर 58,536 रुपये प्रति ट्रांसफॉर्मर × 2181 असफल ट्रांसफॉर्मर की संख्या=12.77 करोड़ रुपये

लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित बातें उद्घाटित हुई :

- बोर्ड ने वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए कोई संधारण अनुसूची विहित नहीं की।
 - आवर्तिक रूप से सभी वितरण ट्रांसफॉर्मर के संधारण को सुनिश्चित करने के लिए न तो प्रमण्डल द्वारा न ही उप-प्रमण्डल द्वारा संधारण का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया।
 - ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे अंचल/मुख्यालय द्वारा अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु प्रमण्डल द्वारा संपादित संधारण की जानकारी हो।
 - ट्रांसफॉर्मर के संधारण से संबंधित अभिलेख तैयार नहीं किये गये।
 - प्रभावी एवं नियमित संधारण सुनिश्चित करने हेतु प्रमण्डल स्तर पर वितरण ट्रांसफॉर्मर के निरीक्षण हेतु कोई अनुसूची विहित नहीं की गयी।
- ट्रांसफॉर्मर का संधारण नहीं होने के कारण ट्रांसफॉर्मर की उच्च असफल दर हुई।

6.2.10.2 अधिष्ठापन में विलम्ब

क्रयादेश की शर्तों एवं बंधों के अनुसार पावर ट्रांसफॉर्मर के कार्य निष्पादन की अवधि की गारंटी इसके अधिष्ठापन की तिथि से 12 माह की अवधि तक या इसकी प्राप्ति की तिथि से 18 माह की अवधि तक, जो पहले हो, होती है। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 20 एम.भी.ए.का एक नया 132/33 के.वी.ए. पावर ट्रांसफॉर्मर ग्रिड उपकेन्द्र धालभूमगढ़ को प्राप्त हुआ (जनवरी 2005) जिसे ट्रांसफॉर्मर खण्ड के निर्माण में विलंब के कारण जून 2006 में अधिष्ठापित किया गया। असैनिक कार्य एवं पावर ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति कार्यक्रम में तालमेल न होने के फलस्वरूप ट्रांसफॉर्मर के कार्य निष्पादन प्रतिभूति की हानि के अलावे इसके अधिष्ठापन में 16 माह का परिहार्य विलम्ब हुआ।

एक अन्य मामले में 150 एम.भी.ए. का एक पावर ट्रांसफॉर्मर ग्रिड उपकेन्द्र रामचन्द्रपुर में 1998 में अधिष्ठापित हुआ जो अप्रैल 2000 में असफल हो गया। असफल ट्रांसफॉर्मर को 90 लाख रुपये की लागत पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मरम्मत के लिए भेजा गया (मई 2004)। मरम्मत पश्चात ट्रांसफॉर्मर ग्रिड उपकेन्द्र को मई 2005 में प्राप्त हुआ परंतु अभी तक (अक्टूबर 2006) अधिष्ठापित किया जाना है। मरम्मत किये गये ट्रांसफॉर्मर की गारंटी अवधि मई 2006 में समाप्त हो चुकी थी।

मरम्मत किये गये एवं नये ट्रांसफॉर्मर बिना अधिष्ठापन के प्रांगण में रखे गये

6.2.11 संपदा प्रबंधन

6.2.11.1 ट्रांसफॉर्मर की गणना

2002-03 से 2005-06 के दौरान नये एवं मरम्मत किये गये वितरण ट्रांसफॉर्मर 11645 क्षेत्रीय इकाई को संवर्धन एवं पुर्नस्थापन के लिए निर्गत किये गये।

ट्रांसफॉर्मर के गणना कार्य का संचालन नहीं होना

2002-03 से 2005-06 के दौरान* क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनर्स्थापन एवं संवर्द्धन हेतु निर्गत वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है।

(क्षमता एम.भी. ए. में)

विवरण	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		योग	
	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
क्षेत्रीय कार्यालय को निर्गत नये एवं मरम्मत किये गये वितरण ट्रांसफॉर्मर (क)	2,243	216	3,458	360	2,993	308	2,951	310	11,645	1,194
वास्तविक संवर्द्धन (ख)	991	79	963	102	1,403	164	1,528	215	4,885	560
दोषपूर्ण/निराकृत वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए इस्तेमाल वितरण ट्रांसफॉर्मर (शेष आँकड़ें) (ग) = (क) (ख)	1,252	137	2,495	258	1,590	144	1,423	95	6,760	634
क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त दोषपूर्ण/ निराकृत वितरण ट्रांसफॉर्मर (घ)	375	35	601	63	496	50	655	66	2,127	214
कम प्राप्ति (ड.) = (ग) - (घ)	877	102	1,894	195	1,094	94	768	29	4,633	420

5.22 करोड़ रुपये मूल्य के 4,633 वितरण ट्रांसफॉर्मर का विवरण भंडार में उपलब्ध नहीं था

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि क्षेत्र में निर्गत वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या, भंडार में एवं कार्यरत वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या से मेल नहीं खाती थी। प्राप्त एवं निर्गत ट्रांसफॉर्मर की गणना बोर्ड द्वारा कभी नहीं की गई। दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर के पुनःस्थापन के लिए क्षेत्रीय इकाई को निर्गत 6760 वितरण ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध 2127 ट्रांसफॉर्मर का भंडार में लेखांकन किया गया। 5.22 करोड़* रुपये मूल्य के शेष 4633 वितरण ट्रांसफॉर्मर का विस्तृत विवरण/केन्द्रीय भंडार में उपलब्ध नहीं था।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने पावर एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर का जीवनकाल क्रमशः 35 वर्ष एवं 25 वर्ष निर्धारित किया था (मार्च 1994)। प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण विवरण यथा, आपूर्तिकर्ता का नाम, क्षमता, वोल्टेज अनुपात, निर्गमन की तिथि, अधिष्ठापन की तिथि, ऊर्जा क्रियाशील करने की तिथि, असफल होने की तिथि, गारंटी अवधि समाप्त होने की तिथि, ट्रांसफॉर्मर का सामान्य जीवन काल, अनुरक्षण एवं पुनःअधिष्ठापन की तिथि इत्यादि, इतिहास पत्र में संघारित करना इसके निष्पादन एवं शेष कार्यावधि की सम्पुष्टि के अनुश्रवण हेतु आवश्यक था। लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ उद्घाटित हुईं:

- वितरण एवं पावर ट्रांसफॉर्मर से संबंधित परिसम्पत्ति पंजी एवं इतिहास पत्रक संघारित नहीं किये गये। परिणाम स्वरूप ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति की तिथि एवं अवधि जिसमें ये कार्यरत रहे सुनिश्चित नहीं की जा सकी। ट्रांसफॉर्मर का समयवार विश्लेषण नहीं किया गया।
- ट्रांसफॉर्मर-वार भार-वितरण एवं इनकी आवर्ती अनुरक्षण से संबंधित पंजी का संधारण पावर एवं ग्रिड उपकेन्द्र में नहीं किया गया।

* 2001-02 में संवर्द्धन एवं पुनर्स्थापन के लिए निर्गत किये गये ट्रांसफॉर्मरों का विवरण नहीं था।

* 4,633 x 11,263 रुपये (निलामी किये गये 100 के.भी.ए. तक के वितरण ट्रांसफॉर्मर की औसत बिक्री दर)

- विविध कारणों से ट्रांसफॉर्मर असफल हुये। बोर्ड ने सुधारात्मक कारवाई हेतु असफलता के कारणों यथा, निर्माण में त्रुटि, अपर्याप्त सुरक्षा, अनुरक्षण का अभाव एवं प्रतिकूल व्यवस्था/पर्यावरणीय स्थिति का विश्लेषण नहीं किया।

परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ट्रांसफॉर्मर अपने सामान्य जीवन काल तक कार्यरत रहे। समयवार असफलता के प्रभाव का भी आकलन नहीं किया गया। यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया कि क्या ट्रांसफॉर्मर अपने गारंटी अवधि के अंदर असफल हुये।

6.2.11.2 ट्रांसफॉर्मर का रद्दीकरण एवं निपटारा

बोर्ड ने तीन मरम्मत के अयोग्य/जले हुये ट्रांसफॉर्मर की निलामी हेतु निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2004) की। कुसुम स्टील की उच्चतम बोली को स्वीकृत करते हुये सुपुदर्गी आदेश निर्गत किया गया। सुपुदर्गी के समय, यह ज्ञात हुआ कि एक 60 एम.भी.ए. का ट्रांसफॉर्मर गायब था। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मामले की छानबीन के बदले बोर्ड ने एक दूसरा 60 एम.भी.ए. का ट्रांसफॉर्मर सुपुर्द कर दिया जो निराकृत नहीं था।

तदन्तर लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि निविदा शर्त में वर्णित छः ट्रांसफॉर्मर के बदले बोर्ड ने अन्य आठ ट्रांसफॉर्मर (पाँच एम.भी.ए. तक) का निपटारा कर दिया। अभिलेखों के अभाव में इस बात की लेखापरीक्षा जाँच नहीं की जा सकी कि क्या अधिक निपटाये गये दो ट्रांसफॉर्मर सेवा योग्य थे अथवा नहीं।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि देवघर ग्रिड उपकेन्द्र में 20 एम.भी.ए. का एक पावर ट्रांसफॉर्मर 1987 में प्राप्त हुआ लेकिन वर्तमान में उक्त ट्रांसफॉर्मर की केवल मुख्य टंकी भंडार में पड़ी हुई थी।

6.2.11.3 वितरण ट्रांसफॉर्मर

बोर्ड ने 200 के.वी.ए. तक क्षमता वाले 820 वितरण ट्रांसफॉर्मर के निपटारा के लिए निविदा (नवम्बर 2004) आमंत्रित की। इनमें से 808 ट्रांसफॉर्मर का निपटारा किया गया। शेष 12 ट्रांसफॉर्मर से संबंधित जानकारी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि निराकृत ट्रांसफॉर्मर के निलामी प्रस्ताव के पूर्व विभिन्न कारकों यथा, ट्रांसफॉर्मर के इतिहास पत्रक की जाँच, ट्रांसफॉर्मर के स्थान, निराकृतता के कारण, सभी घटकों की भौतिक एवं तकनीकी जाँच, विगत में समरूप ट्रांसफॉर्मर का निर्धारित सुरक्षित मूल्य एवं प्राप्त वास्तविक मूल्य अगर कोई हो, वर्तमान निलामी के लिए सुरक्षित मूल्य आदि को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया।

6.2.12 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन उपकरण है जिसका इस्तेमाल इस बात का समुचित आश्वासन प्रदान करने के लिए होता है कि प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति मितव्ययिता एवं

कुशलता के साथ सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है। लेखा परीक्षा के दौरान बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण पायी गयी जैसा कि नीचे वर्णित है :

- बोर्ड ने केवल 2001-02 तक के लेखा का संकलन किया था जिसका सत्यापन अभी बाकी था। वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के लेखा के बकाये का संचयन धोखाधड़ी के मामलों, अगर कोई हो, से जोखिम भरा था जो अज्ञात रह गया।
- बोर्ड ने भंडार की प्राप्ति एवं लेखाकन, ट्रांसफॉर्मर के संचालन एवं अनुरक्षण, लेखा तथा आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कोई संहिता तैयार नहीं किया। बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों से माँग-पत्र की आवर्ती प्राप्ति, क्रयादेश का नियोजन, ट्रांसफॉर्मर के अनुरक्षण एवं उनको अंचल में वापस करने की नियत समय-सीमा तथा दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर को निराकृत घोषित करने की कोई आदर्श प्रक्रिया स्थापित नहीं की।
- ट्रांसफॉर्मर की गणना, ट्रांसफॉर्मर का इतिहास पत्रक, अनुरक्षण हेतु वर्कशॉप में भेजे गये ट्रांसफॉर्मर की क्रम संख्या, पावर उपकेन्द्र एवं वितरण उपकेन्द्र में ट्रांसफॉर्मर का लोगबुक, ट्रीपींग वोल्टेज के उतार चढ़ाव एवं बिजली गुल से संबंधित पंजी जैसे मूलभूत अभिलेख न तो क्षेत्रीय कार्यालय में न ही मुख्यालय में संधारित किये गये। क्षेत्रीय इकाई में अधिष्ठापित वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता एवं संख्या से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय में उपलब्ध नहीं था।
- ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति तदर्थ आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों से बिना अधियाचना प्राप्त किये की गई तथा अंचलवार प्राप्त ट्रांसफॉर्मर का विस्तृत विवरण मुख्यालय में उपलब्ध नहीं था।
- उत्पादन क्षमता से संचरण क्षमता, संचरण क्षमता से वितरण क्षमता एवं वितरण क्षमता से संबद्ध भार का अनुपातिक मानक निर्धारित नहीं किया गया। ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत अनुरक्षण एवं सम्पादन या रद्दी ट्रांसफॉर्मर एवं दूषित ट्रांसफॉर्मर तेल का निपटारा तथा मरम्मत योग्य ट्रांसफॉर्मर से तांबा और अल्युमिनियम तार की पुनःप्राप्ति से संबंधित कोई मार्गदर्शिका तैयार नहीं की गयी।

6.2.13 उपसंहार

ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति, अनुरक्षण, मरम्मत से संबंधित कार्यप्रणाली का मानकीकरण नहीं करने, मानक निर्धारित नहीं करने एवं नियंत्रण के अभाव में बोर्ड का प्रदर्शन अपर्याप्त था। ट्रांसफॉर्मर की अधिप्राप्ति हेतु बोर्ड ने वार्षिक योजना तैयार नहीं की। प्राप्त निर्गत एवं अधिष्ठापित ट्रांसफॉर्मर की संगणना बोर्ड द्वारा कभी नहीं की गई। पावर एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर का आवर्ती अनुरक्षण नहीं किया गया। फलस्वरूप वितरण ट्रांसफॉर्मर की असफलता दर अधिक रही। ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप द्वारा मरम्मत ट्रांसफॉर्मर से सामग्री की पुनः प्राप्ति के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया। बोर्ड ने व्यवस्थित तरीके से निलामी प्रक्रिया का मानकीकरण नहीं किया जिसके कारण बेकार ट्रांसफॉर्मर के साथ-साथ ग्रीड उप-केन्द्र प्रांगण में पड़े निष्क्रिय ट्रांसफॉर्मर की मनमाने ढंग से निलामी की गयी। उत्पादन, संचरण एवं वितरण में रूपान्तरण का अनुपात/मानक

निर्धारित नहीं करने एवं कोई कारवाई नहीं करने के कारण संचरण एवं वितरण क्षति ज्यादा हुई। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र तथा आंतरिक नियंत्रण उचित नहीं था।

6.2.14 अनुशंसार्ये

बोर्ड को आवश्यकता है कि :

- भार वृद्धि के अनुरूप ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति हेतु वार्षिक योजना तैयार करे।
- ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन, भौतिक अस्तित्व एवं केन्द्रीय भंडार को किये गये हस्तान्तरण का अनुश्रवण करने के लिए गणना संचालित करे।
- ट्रांसफॉर्मर के अनुरक्षण के लिए एक अनुसूची तैयार करे एवं आवर्ती अनुरक्षण विहित अनुसूची के अनुसार हो।
- असफल ट्रांसफॉर्मर से सामग्रियों की पुनः प्राप्ति का मानक निर्धारित करे।
- अनुपयुक्त ट्रांसफॉर्मर की निलामी हेतु मार्ग दर्शन तैयार करे ताकि इनका समयबद्ध निपटारा कर अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।
- एक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तंत्र विकसित करे।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करे।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2006); उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। (अक्टूबर 2006)।

6.3 लेन - देन लेखा परीक्षा का अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनी/निगम के लेन-देन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कम्पनी

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्रीय उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड

6.3.1 कर्मचारियों की अधिकता के कारण व्यर्थ व्यय

अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के परिणामस्वरूप 3.63 करोड़ रुपये का व्यर्थ व्यय

झारखण्ड पहाड़ी उद्वह सिंचाई निगम (कम्पनी) को, उद्वह सिंचाई योजनाओं एवं अन्य छोटी सिंचाई योजनाओं को राज्य में लागू करने के उद्देश्य से संस्थापित किया गया (मार्च 2002)। झारखण्ड सरकार की नीति के अनुसार पूर्ववर्ती बिहार पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम(भालको) के हर उस कर्मचारी को प्रति नियुक्ति के आधार पर काम पर लगाना था जिन्होंने एक निश्चित तिथि (मार्च 2003) तक इसके लिये अपनी स्वीकृति दी थी। तदनुसार, कम्पनी ने पूर्ववर्ती भालको के 302 कर्मचारियों को रखा।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से यह उद्घाटित (जनवरी 2006) हुआ कि कम्पनी के पास मार्च 2003 से 152 अतिरिक्त कर्मचारी थे जो कम्पनी के अनुसार अधिक थे। लेखापरीक्षा से पता चला कि बोर्ड ने (26 सितम्बर 2005) सरकार को यह सूचित कर दिया था कि 1.21 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वार्षिक व्यय 152 कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर कम्पनी द्वारा वहन किये जा रहे हैं। फलतः कम्पनी को 2003-06 के दौरान 3.63 करोड़ रुपये के अनुत्पादक व्यय का नुकसान उठाना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा कि (जनवरी 2006) सरकार द्वारा मामले की जाँच की जा रही थी। यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी ने सरकार को इस मामले की सूचना सितम्बर 2005 में दी, जब कम्पनी को 3.63 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हो चुका था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा 1.21 करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती दायित्व लिया गया।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त हैं (जून 2006)।

सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

6.3.2 संग्रहण में विलम्ब के कारण अवसूलनीय बकाया

बकाया राशि के कालातीत/वसूली योग्य नहीं होने के कारण 8.03 करोड़ रुपये की हानि

परिसीमन अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार वैसे उपभोक्ताओं जिनके विद्युत सम्बन्ध बकाया राशि के भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप विच्छेदित कर दिये गये हैं, के विरुद्ध नीलामवाद प्रक्रिया के तहत बकाये की वसूली हेतु शीघ्र वाद दायर किया जाना चाहिये। यदि भुगतान तिथि के तीन वर्ष के अन्दर नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जाती है, वैसी स्थिति में बकाया राशि कालातीत हो जाती है। ऐसे मामलों में नियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पदाधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये बाध्य होंगे और बकाया राशि के कालातीत होने के लिये जिम्मेवार ठहराये जायेंगे एवं बकाया राशि जो कालातीत हो गई है उसकी वसूली दोषी पदाधिकारी से की जा सकती है।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के 15 विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि निम्न दबाव वाले औद्योगिक सेवाओं (एल.टी.आई.एस.) वाले, घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के विरुद्ध भारी बकाया राशि थी एवं जिनके विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित कर दिये गये थे (मार्च 2003 तक) किन्तु, बकाया राशि 8.03 करोड़ रुपये की न तो वसूली की गई न ही कोई कानूनी कार्रवाई इन निर्धारित तीन वर्षों की अवधि के भीतर की गई। ब्योरे निम्नवत हैं :

क्रम सं.	इकाई का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि (लाख रुपये में)	अवधि तक
1	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गढ़वा	86	14.08	3/2002
2	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, (ग्रामीण) राँची	26	43.89	3/2002
3	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गुमला	47	7.02	3/2002

4	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झरिया	280	222.56	3/2002
5	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, साहेबगंज	54	74.66	11/2001
6	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सराईकेला	81	22.74	8/2002
7	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, देवघर	619	146.19	3/2003
8	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, निरसा	173	33.58	2/2002
9	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, तेनुघाट	32	8.62	12/2001
10	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, घाटशिला	20	10.53	8/2002
11	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, चक्रघरपुर	53	18.96	3/2003
12	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, आदित्यपुर	540	124.96	12/2002
13	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गोविन्दपुर, घनबाद	35	13.53	9/2001
14	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गोड्डा	140	43.10	1/2001
15	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सिमडेगा	19	18.15	3/2003
	कुल	2205	802.57	

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नीलामवाद प्रक्रिया तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रारंभ नहीं किये जाने के फलस्वरूप विद्युत बोर्ड को 8.03 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (जून 2006); उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (जुलाई 2006)।

6.3.3 गलत विपत्रीकरण के कारण राजस्व की हानि

गलत विपत्रीकरण के कारण बोर्ड को 1.20 करोड़ रुपये की हानि

विशिष्ट अनुदेशों के अनुसार निर्गत विद्युत मासिक विपत्र में उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गयी ऊर्जा एवं अन्य भुगतनेय शुल्क का भुगतान देय तिथि तक मासिक विपत्र में उल्लिखित रहता है। यदि उपभोक्ता निर्धारित तिथि के अर्न्तगत विपत्र के भुगतान में असफल होता है तो झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को यह छूट है कि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर सके।

वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार यदि कोई बकाया राशि विद्युत आपूर्ति किये जाने के फलस्वरूप उपभोक्ता पर बकाया है, तो अध्यक्ष वित्तीय शाखाओं से सम्पर्क कर उपभोक्ता को बकाया राशि किश्तों में भुगतान करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

विद्युत आपूर्ति अंचल, हजारीबाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में (दिसम्बर 2005) उद्घाटित हुआ कि एक उच्च दबाव विशिष्ट सेवा (एच.टी.एस.एस.) उपभोक्ता, अक्षय तकनीकी प्राइवेट लिमिटेड को एक विद्युत संबंध (2 सितम्बर 2001) 2850 के.भी.ए. की निर्धारित माँग पर दिया गया जिसे जिला प्रबंधन सह मुख्य अभियन्ता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, हजारीबाग के निर्देशों के अनुसार घटा कर (जून 2003 के प्रभाव से) 1530 के.भी.ए. कर दिया गया गया (मई 2003)। तदन्तर, यह देखा गया कि 31 जनवरी 2004 को उपभोक्ता के पास 4.31 करोड़ रुपये का बकाया था। प्रबंधक ने उपभोक्ता को बकाया राशि के भुगतान हेतु चालू ऊर्जा विपत्र के साथ-साथ साठ बराबर मासिक किश्तों में भुगतान हेतु अनुमति दे दी (जनवरी 2004) परंतु 4.31 करोड़ रुपये बकाया राशि को संसूचित किये जाने के बदले विद्युत अधीक्षण अभियन्ता (ई.एस.ई.), विद्युत

आपूर्ति अंचल, हजारीबाग ने उपभोक्ता के साथ मात्र 3.11 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु एकरारनामे पर हस्ताक्षर किया जो कि 1530 के.भी.ए. क्षमता वाले घटे संबद्ध भार पर आधारित था। इस तरह, गलत विपत्रीकरण के कारण बोर्ड को 1.20 करोड़ रुपये की हानि को वहन करना पड़ा।

बोर्ड ने कहा (अगस्त 2006), कि उपभोक्ता का भार 2850 के.भी.ए. से 1530 के.भी.ए. जून 2003 के प्रभाव से घटाया गया और तदनुसार उपभोक्ता का ऊर्जा विपत्र भी जून 2003 से फरवरी 2004 तक संशोधित किया गया। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि उपभोक्ता और बोर्ड के बीच किये गये एकरारनामे की शर्तों और बंधों के अनुसार निर्धारित माँग में कमी उपभोक्ता को ऊर्जा आपूर्ति की तिथि से तीन वर्षों के भीतर अनुमान्य नहीं था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

राँची,
दिनांक

(मुकेश पी सिंह)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक